FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0306   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/11/2025 16:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 13/11/2025   Date To (दिनांक तक): 17/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 11:40 बजे   Time To (समय तक): 17:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/11/2025   Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/11/2025 16:48:01 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 110 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KARALYA SAHAYAK ABHIYANTA J.V.V.N.L., RAMGARH JILA ALWAR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HAKMINDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KULWANT SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM MUBARIKPUR, NAUGAWAN, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM MUBARIKPUR, NAUGAWAN, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH KUMAR		पिता:KALICHARAN	1. GRAM JAHANPUR,GOVINDGARH, NOUGANWA,ALWAR,RAJASTH
2	VIRENDRA SINGH		पिता:PREM SINGH	1. GRAM MAHARMPUR POST RAYSIS,NADBAI,NADBAI,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	RAJKUMAR		पिता:SAIDAS	1. GRAM NIWALI,RAMGARH,RAJGARH(ALWAR),ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 13.11.2025 को समय करीब 11.40 एएम पर परिवादी हकमिन्द्र सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से जरिये वाट्सअप कॉल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मै ग्राम मुबारिकपुर, तहसील नौगांवा जिला अलवर का रहने वाला हूं । मेरे पिताजी श्री कुलवन्त सिंह ने करीब 10-12 साल पूर्व कृषि कनेक्सन के लिए कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ जिला अलवर में पत्रावली लगाई गई थी। जिसका डिमाण्ड नोटिस हमें प्राप्त होने पर हमारे द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशी जमा करवा दी थी। अब उक्त कनेक्सन को लगाने के लिए कार्यालय रामगढ द्वारा हमें एंगल तार आदि सामान दे दिया था। लेकिन ट्रांसफार्मर नही दिया गया। ट्रान्सफार्मर लेने के लिए मै करीब दो-तीन दिन पूर्व उक्त कार्यालय में गया तो मेरे से ट्रान्सफार्मर देने की एवज में लाईनमैन श्री दिनेश कुमार कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता मुबारिकपुर हाल कैम्प रामगढ जिला अलवर व श्री विरेन्द्र कुमार लाईनमैन 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मै उनको मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं और उनको रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों से मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर परिवादी को गोपनीय मांग सत्यापन कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा बताये गई सभी बाते सही है तथा मेरे को आपके कार्यालय में आने में समय लगेगा तथा लाईनमैन श्री दिनेश कुमार व श्री विरेन्द्र सिंह ने मुझे अभी अपने कार्यालय में बुलाया है। मै वर्तमान में बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पर हूं । मांग सत्यापन के लिए जो आपका कर्मचारी मेरे पास शिवाजी पार्क स्टेण्ड अलवर आयेगा उसको मै उक्त तथ्यों का मेरा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु पेश कर दुगॅा। तत्पष्चात समय करीब 12.05 पीएम पर मांग सत्यापन हेतु श्री राजबीर सिंह कानि0 को परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] दिये जाकर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर उसमें नया एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड खाली होना सुनिष्चित कर सुपुर्द कर परिवादी के पास बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पहुंचकर परिवादी से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द करने के निर्देश दिये जाकर मांग सत्यापन हेतु बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर के लिए रवाना किया गया। समय करीब 04.30 पीएम मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री राजवीर सिंह कानि0 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर बताया कि साहब मै आपके निर्देषानुसार परिवादी के पास बस स्टेण्ड शिवाजी पार्क अलवर पर पहुचा तो परिवादी श्री हकमिन्द्र मुझे उपस्थित मिला, जिससे मैने परिचय कर उससे कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र देने बाबत कहा तो उसने मुझे अपना हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जो मैने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मै और परिवादी वहा से रवाना होंकर मांग सत्यापन के लिए संदिग्ध आरोपीगण के कार्यालय रामगढ के नजदीक पहूंचे, जहां पर मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्ड चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकॉर्डर को चालूकर परिवादी को सुपुर्द कर उनके कार्यालय के लिए रवाना किया और मै उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी उस कार्यालय से बाहर आया और मुझे बताया कि संदिग्ध आरोपी अपने कार्यालय में नही है। उनके स्टाफ से पूछने पर कल आना बताया है। इसलिए मांग सत्यापन की कार्यवाही नही हो सकी । इस पर श्री राजवीर सिंह कानि0 को परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह को उनके निवास स्थान के लिए रवाना करने तथा स्वंय को अलवर में मुकीम रहकर दिनांक 14.11.2025 को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 14.11.2025 को समय करीब 04.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को

श्री राजवीर सिंह कानि0 ने अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्स काल वार्ता कर बताया कि साहब मै और परिवादी आपके निर्देषानुसार आपस में सम्पर्क कर मांग सत्यापन हेतु समय करीब 12.15 पीएम पर संदिग्ध आरोपीगण के कार्यालय रामगढ जिला अलवर के नजदीक पहुंचे, जहां पर मैने वाईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादी को सुपुर्द कर वार्ता हेतु संदिग्ध आरोपीगण के पास उनके कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मै परिवादी पर नजर रखते हुये उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी बाद वार्ता मेरे पास आया और मुझे वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन व श्री विरेन्द्र कुमार लाईनमैन से वार्ता हो गई है। उन दोनों ने मेरे से मेरे पिताजी श्री कुलवंत सिंह के नाम कृषि कनेक्सन के ट्रान्सफार्मर का इण्डेन कटवाकर ट्रान्सफार्मर दिलवाने की एवज में 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर मेरे द्वारा कम करवाने पर हजार-पॉच सौ रूपये कम करते हुये 5,000/- रूपये लेने के लिए सहमत हो गये है। मैने मेरी उनसे हुई सभी बातो को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर परिवादी से वार्ता की तो कानि0 द्वारा बताई गई बाते बताई गई एंव दो दिन आरोपीगण के कार्यालय का अवकाश होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा। इस पर परिवादी को दिनांक 17.11.2025 को रिश्वत राशी सहित समय करीब 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व कानि0 राजवीर सिंह को परिवादी को वही छोडकर कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन वार्ता के वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक लगाने व मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने पर पेश करने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 17.11.2025 को समय करीब 10.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री राजवीर सिंह कानि0 द्वारा परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह द्वारा कार्यवाही हेतु दिनांक 13.11.2025 को दिया गया हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर पेश किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल कर बताये गये तथ्यों से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सुना गया तो उसमें परिवादी व कानि0 राजवीर सिंह द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को दिनांक 14.11.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादी से 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने के लिए कहने पर हजार-पॉच सौ रूपये कम देने के लिए कहकर 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर सहमत होना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को वापिस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी प्रार्थना पत्र व वाईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत आयुक्त नगर परिषद भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 को हमराह देकर स्वतन्त्र गवाह को हमराह लाने हेतु नगर परिषद कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 10.15 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय किया जाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशी 5,000/-रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने अपने पास होना बताया गया। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 कार्यालय नगर परिषद भिवाडी से दो स्वतन्त्र गवाह कार्यवाही हेतु हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री किरोडी मीना फायरमैन व दूसरे ने अपना नाम श्री राकेश कुमार फायर वाहन चालक कार्यालय नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पष्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पष्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 13.11.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन व श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 14.11.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 17.11.2025 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में सरसरी तौर पर चालूकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादी से उसके पिताजी श्री कुलवन्त सिंह के नाम कृषि कनेक्सन के ट्रान्सफार्मर का इण्डेन कटवाकर ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए 6,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर हजार-पॉच सौ रूपये कम करते हुये 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर सहमत होना स्पष्ट

रूप से पाया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती पेनड्राईव समय अभाव के कारण नही बनाई गई। वाईस रिकॉर्डर से एसडी कार्ड 32 जीबी को बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में रखा गया। इसके बाद समय करीब 11.30 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री किरोडी मीना फायरमैन कार्यालय नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा व श्री राकेश कुमार फायर वाहन चालक कार्यालय नगर परिषद जिला खैरथल तिजारा के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह उम्र 34 साल जाति सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील नौगावा जिला अलवर को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500/- रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये गये। जिनके नम्बरी का विवरण फर्द पेशकशी रिश्वत राशी एंव सुपदर्गी नोट में अंकन कर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्री निहाल सिंह कानि0 595 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5,000/- रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री निहाल सिंह कानि0 595 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री किरोडी मीना से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 5,000/-रूपये के नोट श्री निहाल सिंह कानि0 595 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल देकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री निहाल सिंह कानि0 595 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया है, के दाहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान तथा हाजरिन् को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुऐगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशी मांगकर ग्रहण की है । इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फैकवाया गया एंव गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात पाऊडर लगाने वाले श्री निहाल सिंह कानि0 595 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव टै्रप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया 32 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर वाईस रिकार्डर को परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 12.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री राजवीर सिंह कानि0 व परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह व गवाह श्री किरोडी मीना के एक प्राईवेट वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री सतीश कुमार हैड कानि न0 11, श्री रवि कुमार कानि0 352, श्री लल्लूराम कानि0, श्री शहरून कानि0, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 62 एंव स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार के सरकारी वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से संदिग्ध आरोपीगण के कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ के लिए रवाना होकर समय 01.50 पीएम कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर के नजदीक भीड-भाड वाली जगह पर पहुॅचे, जहा पर दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर वाईस रिकॉर्डर को चालू करने की हिदायत देकर संदिग्ध आरोपीगण के पास उनके कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्यों को भी वाहनो सें नीचे उतारकर मन् उप अधीक्षक पुलिस व स्टाफ सदस्य परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-2 उपस्थिति छुपातें हुये उस कार्यालय के बाहर खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह बिना कोई ईशारा किये ही उस कार्यालय से बाहर आया एंव मन् उप अधीक्षक पुलिस को दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बताया कि साहब मै आपके निर्देषानुसार

संदिग्ध आरोपीगण के पास रिश्वत राशी देने हेतु उनके कार्यालय में गया तो दोनों आरोपीगण मुझे अपने कार्यालय में नही मिले इस पर मैने उनके स्टाफ सदस्यों से पूछा तो बाहर जाना बताया। इस पर मैने अपने मोबाईल नम्बर से समय करीब 02.00 पीएम पर संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन से वार्ता की तो उसने मुझे एक डेढ घण्टे में अपने कार्यालय में आने के लिए कहा गया। इस पर परिवादी की बातों को सही मानते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त स्टाफ सदस्यों के संदिग्ध आरोपीगण का आने का ईन्तजार करने लगे। तत्पष्चात समय करीब 03.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष वाईस रिकॉर्डर चालूकर परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर संदिग्ध आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने उक्त वार्ता में परिवादी को आधे घण्टे में आने के लिए कहा। परिवादी व संदि आरोपी के बीच हुई वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद समय करीब 04.00 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर संदिग्ध आरोपीगण के पास उनके कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर के लिए रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस व बाकि स्टाफ सदस्य भी परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-2 उपस्थिति छुपातें हुये उस कार्यालय के बाहर खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 05.00 पीएम पर परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह ने कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर के मुख्य द्वार पर खडा होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार श्री दिनेश कुमार लाईन मैन द्वितीय के पास उनके कार्यालय में गया, तो श्री दिनेश कुमार लाईन मैन मुझे अपने कक्ष में बैठा हुआ मिला। जिसको मैने नमस्कार किया और फिर मैने हमारे कृषि कनेक्सन के ट्रान्सफार्मर के लिए इण्डेन बनवाने व ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए कहा तो श्री दिनेश कुमार ने मुझे कहा कि थोडी देर रूकों मैं आपकी इण्डेन बना रहा हूं। इसके बाद मैने उनको उनकी तयशुदा 5000/-रूपये रिश्वत राशी के लिए कहा तो श्री दिनेश कुमार ने मुझे अपने पास खडे व्यक्ति श्री राजकुमार का नाम लेकर कहा कि इनको देदो। इस पर मैने श्री दिनेश कुमार लाईन मैन को कहा कि आप लेलो और गिन लो। इस पर उन्होनें दोबारा राजकुमार को देने के लिए कहा तथा बोला की श्री राजकुमार गिन लेगा। उसके पष्चात मैने राजकुमार को 5000/-रूपयें दिये तो श्री राजकुमार ने मेरे से उक्त रिश्वती राशी 5000/-रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनों हाथो से गिनकर अपने दाहिने हाथ में ही रख लिये। इसके बाद श्री दिनेश कुमार लाईन मैन ने मुझे हमारे कृषि विधुत कनेक्सन के ट्रान्सफार्मर के लिए कनिष्ठ अभिंयता से साईन करवाकर इण्डेन दी, और कहा कि आप स्टोर कीपर से अपना ट्रान्सफार्मर ले लो मैंने उनको बोल दिया है। इस पर मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय के मुख्य द्वार पर आकर आपको नियत ईशारा किया। श्री दिनेश कुमार व श्री राजकुमार अभी उनके कक्ष में ही बैठे हुये है एवं रिश्वत राशी श्री राजकुमार के पास ही है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को साथ लेकर संदिग्ध आरोपीगण के कक्ष की ओर गये तो सामने से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। जिस पर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब जो सामने से आ रहे है, वही श्री दिनेश कुमार लाईन मैन व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति है। जिन्होनें अभी-अभी मेरे से अपनी तयशुदा रिश्वत राशी 5000/-रूपये प्राप्त किये। इस पर उक्त दोनों में से सफेद दाढी एवं बाल वाले व्यक्ति ने ट्रेप पार्टी को अपनी ओर आते देखकर अपने दाहिने हाथ से कुछ रूपये अपने पास खडी गाडी में डाल दिये। फिर दोनों व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे तो दोनों व्यक्तियों को हमराह स्टाफ से डिटेंन कर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना दिनेश कुमार पुत्र श्री कालीचरण उम्र 31 साल जाति खाती निवासी ग्राम जहानपुर तहसील व पुलिस थाना गोविदंगढ जिला अलवर हाल लाईनमैन द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल मुबारिकपुर कैम्प रामगढ जिला अलवर होना बताया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार पुत्र श्री साईदास उम्र 66 साल जाति पंजाबी निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर हाल लेबर का कार्य कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर में करना बताया। इसके बाद आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन को परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह से मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2025 को उसके पिता जी के नाम कृषि कनेक्सन के ट्रान्सफार्मर की इण्डेन कटवाकर ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए अपने साथी श्री वीरेन्द्र सिंह लाईनमैन को परिवादी से 6000/-रूपये रिश्वत राशी लेने बाबत कहने एवं अपने व अपने साथी के द्वारा तयशुदा रिश्वत राशी 5000/-रूपये आज दिनांक 17.11.2025 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही लेनदेन परिवादी से मांगकर प्राईवेट व्यक्ति श्री राजकुमार को दिलवाकर प्राप्त करने बाबत पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि साहब श्री हकमिन्द्र सिंह अपने पिता जी के नाम कृषि कनेक्सन का ट्रान्सफार्मर लेने के लिए मेरे पास हमारे कार्यालय रामगढ में दिनांक 14.11.2025 को आया था। तब मैने इनको इण्डेन कटवाकर लाने के लिए कहा था। तब श्री हकमिन्द्र ने मुझे कहा कि साहब मेरा ट्रान्सफार्मर दिलवाओ। तब मैने इनको श्री वीरेन्द्र िसह लाईनमैन से बात करने के लिए कहा था। तब श्री हकमिन्द्र ने मुझे कहा कि आप ही अपनी मिठाई पानी का खर्चा बता दो तब मैने इनको कहा था कि मैने श्री वीरेन्द्र को बता दिया आप उससे बात कर लो। इसके बाद आज

दिनांक 17.11.2025 को समय करीब 02.00 पीएम पर श्री हकमिन्द्र ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता की मुझे कहा कि मेरा ट्रान्सफार्मर दिलवावों तब मैने एक-डेढ घण्टे में आने को कहा था। इसके बाद इन्होनें पुनः समय करीब 03.15 पीएम पर मेरे मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो मैने आधे घण्टे में आने के लिए कहा इसके बाद मेरे कार्यालय में आने पर समय करीब 04.00 पीएम पर हकमिन्द्र मेरे पास मेरे कक्ष में आया और मुझे अपना ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए कहा, और फिर मुझे कुछ रूपये देने के लिए कहा तो मैने मेरे पास खडे श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति को देने को कहा तो इन्होनें श्री राजकुमार को कुछ रूपये दिये जो राजकुमार ने लेकर गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख लिये। इसके बाद में श्री हकमिन्द्र को उसके ट्रान्सफार्मर की इण्डेन देकर स्टोरकीपर से ट्रान्सफार्मर लेने के लिए कहा, तो श्री हकमिन्द्र हमारे पास से चला गया। मैने श्री हकमिन्द्र से न तो कोई रिश्वत राशी की मांग की न ही प्राप्त की। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब दिनेश कुमार लाईनमैन झूठ बोल रहा है। मैं मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2025 को जब इनके पास हमारे कनेक्सन का ट्रान्सफार्मर लेने के लिए आया तो इन्होनें मेरे से हमारा ट्रान्सफार्मर के लिए इण्डेन कटवाकर दिलवाने के लिए मेरे से रिश्वत राशी बाबत श्री वीरेन्द्र सिंह लाईनमैन को बताना व उससे वार्ता करने के लिए कहा था। जिस पर मैने इनके कहे अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह लाईनमैन से वार्ता की तो उन्होनें मेरे से इण्डेन कटवाकर ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए 6,000/-रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा रूपये कम करने के लिए पुनः श्री दिनेश कुमार लाईनमैन को कहा तो उन्होनें कहा कि हजार-पांच सौ रूपये कम दे देना । इस पर मैने कहा कि 5,000/-रूपये ठीक है। तो उन्होने कहा ठीक है। इसके बाद उक्त दोनों की मांग अनुसार तयशुदा रिश्वत राशी 5000/-रूपये लेकर आज दिनांक 17.11.2025 को मैं इनके कार्यालय में आया तो यह मुझे नहीं मिला । इस पर मैने समय करीब 02.00 पीएम पर इनके मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो इन्होनें मुझें एक-डेढ घण्टे में आने को कहा, जब एक-डेढ घण्टे में यह नहीं आये तो मैने इनको पुनः कॉल किया तब इन्होनें आधे घण्टे में आने को कहा। इसके बाद करीब 04.00 पीएम पर आपके निर्देषानुसार मैं इनके पास इनके कार्यालय में आया तो यह मुझे अपने कक्ष में बैठे हुये मिले, जिनको मैने नमस्कार कर ट्रान्सफार्मर दिलवाने के लिए कहा तो इन्होनें इण्डेन लाने के लिए कहा उस पर मैने इनको इनकी तयशुदा रिश्वत राशी बाबत कहा तो इन्होने अपने पास खडे श्री राजकुमार को देने के लिए कहा, तब मैने इनको कहा कि आप लेलो और गिन लो तब इन्होने कहा कि राजकुमार को देदो यह गिन लेगा, तब मैने इनके कहे अनुसार ही राजकुमार को रिश्वत राशी दी, तो राजकुमार ने अपने दाहिने हाथ से रिश्वत राशी प्राप्त कर दोनो हाथों से गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख लिये । इसके बाद दिनेश कुमार लाईनमैन ने हमारे ट्रान्सफार्मर के लिए मुझे इण्डेन देकर कहा कि जाओ स्टोरकीपर से अपना ट्रान्सफार्मर ले लो। इनके द्वारा मुझे दी गई इण्डेन मेरे पास ही है। इसके बाद श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति से श्री दिनेष कुमार लाईनमैन के कहे अनुसार परिवादी श्री हकमिन्द्र से ली गई रिश्वत राशी 5000/-रूपये बाबत पूछा गया कि आपने श्री दिनेश कुमार के कहने पर हकमिन्द्र से रिश्वती राशी 5,000/-रूपये किस काम के लिए है और कहा है, तो श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति ने कहा कि साहब मुझे नहीं पता यह राशी किस काम की है, मेरे को श्री दिनेश कुमार लाईनमैन ने इनसे दिलवाई थी। और कहा था कि गिनकर अपने पास रख लो मुझे बाद में दे देना। जो मैने दिनेश कुमार के कहने पर श्री हकमिन्द्र से प्राप्त कर गिनकर जो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000/-रूपये थे। अपने दाहिने हाथ में ही रखी थी। जो मैं श्री दिनेश कुमार लाईनमैन को ही देता लेकिन आप आते हुए दिखाई दिये तो श्री दिनेश कुमार ने मुझे उक्त राशी गाडी में फेकने के लिए कहने पर मैने इस गाडी में फैकं दी जो गाडी में ही पडी है। इस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि साहब राजकुमार झूठ बोल रहे है। इनके सामने ही दिनेश कुमार लाईनमैन से हमारा ट्रान्सफार्मर दिलवाने की बात हो रही थी। तब दिनेश कुमार को मैने इनके द्वारा तयशुदा रिश्वत राशी बाबत कहा तो इन्होनें श्री राजकुमार को देने को कहा था। जो राजकुमार ने इनके कहे अनुसार मेरे से दाहिने हाथ में प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख ली थी। और फिर इनके सामने ही दिनेश कुमार ने हमारे ट्रान्सफार्मर की इण्डेन देकर स्टोरकीपर से ट्रान्सफार्मर लेने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी श्री राजकुमार द्वारा ट्रैप पार्टी को देखकर परिवादी से ली गई रिश्वत राशी 5,000/-रूपये जिस गाडी में फैकी गई उक्त गाडी नम्बर आरजे 14ईए 9401 टाटा लिफ्टर की बॉडी के पीछे की दाहिने साईड को गवाह श्री किरोडी मीना से चेक करवाया गया तो गवाह ने उक्त गाडी में कुछ रूपये पडे हुये होना बताया जिनको गवाह से उठवाकर कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी रिश्वत राशी से मिलान करने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने नोटो का मिलान कर नोटों के नम्बर एक समान होना बताया गया। उक्त नोटों को गवाह श्री किरोडी मीना के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चात उक्त गाडी के पास कानि0 श्री लल्लू को खडा कर, उक्त दोनों व्यक्तियों को हमराह लेकर कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ के कक्ष में आकर दोनों आरोपीगण को कुर्सियों पर बैठाया गया। इसके बाद सदिग्धं आरोपी श्री वीरेन्द्र सिंह लाईनमैन को कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ में तलाश करवाया गया तो वह नहीं मिला इस पर उक्त आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] र कॉल की गई तो मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया गया। इस पर उक्त आरोपी की कस्बा रामगढ में श्री सतीश कुमार हैडकानि0 व श्री शहरून कानि0 से उसके मिलने वाले संभावित स्थानों पर तलाश करवाई गई तो वह नही मिला व अपनी गिरफतारी के भय से रूहपोष हो गया। तत्पष्चात उक्त कार्यालय में लगे आरओ से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों

गिलासों में पानी भरवाकर श्री सतीश कुमार हैडकानि0 से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पष्चात गवाह श्री किरोडी मीना के पास उक्त गाडी से जिसमें आरोपी श्री राजकुमार द्वारा ट्रेप टीम को देखकर रिश्वती राशी फैंकी गई थी, को गाडी से उठवाकर मिलान कर सुरक्षित रखवाई गई थी, को गवाह से बाहर निकलवा कर पुनः दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये होना एंव उक्त नोटो के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात पूर्व की भाँति श्री सतीश हैडकानि0 से एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में रूई के फौवे से गाडी नम्बर आरजे 14 ईए 9401 टाटा लिफ्टर की बॉडी के पीछे दाहिने साईड जहां से रिश्वत राशी बरामद की जाकर गवाह श्री किरोडी के पास रखवाई गई थी। गाडी के उक्त स्थान जिससे रिश्वत राशी टच थी। उस स्थान का धौवन लिया गया। तो धौवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर गदमैला होना स्वीकार किया। तत्पष्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शिशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क G-1 व G-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त रूई का फौवा जिससे धौवन लिया गया था। उसको अच्छे से सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मौहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क G अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाइनमैन व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री रवि कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई। करवाई गई विडियोंग्राफी के मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी से आरोपी दिनेश कुमार लाईमैन द्वारा ट्रान्सफार्मर हेतु दी गई इण्डेन प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो इण्डेन आज दिनांक 17.11.2025 को ही काटा जाना पाया गया, जिसको बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिष, दुष्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशी एंव हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 08.15 पीएम दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी तथा संदिग्ध आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता मुबारिकपुर कैम्प रामगढ जिला अलवर व श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय दिनांक 14.11.2025 को हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर समय अभाव के कारण ट्रान्सक्रिप्ट बाद में बनाने का निर्णय लिया जाकर वाईस रिकॉर्डर में लगे ममोरी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर अपने कब्जे में रखा गया था उक्त ममोरी कार्ड 32 जीबी सेनडिस्क को अपने कब्जे से बाहर निकाला जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लैपटाप में लगाकर टेबिल स्पीकर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-षब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय व श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व एसडी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटीके इमैजर की सहायता से श्री राजबीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर

थैलियों पर भी मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित किया जाकर मार्क A-1, A-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती पैनड्राईव व एसडी कार्ड 32 जीबी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात रिश्वत लेन देन के समय आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति एवं परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वाताओं को सुना जाकर श्री राजवीर सिंह कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क अल्ट्रा हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जाकर लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैष वैल्यू का प्रिंट लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात तीनों पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित अलग-2 प्लास्टिक की छोटी डिब्बीयों में रखवाकर प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का B-1,B-2 व B-3 अंकित किया जाकर मार्क B-1,व B-2 को सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क B-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दोनों आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति को उनके द्वारा किये गये जुर्म में बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत गिरफतार किये जाने हेतु गिरफतारी की सूचना देने हेतु उनके नाम पत्र जारी किये जाकर दोनों आरोपीगण को उनके जुर्म से अवगत करवाकर जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द अलग-2 गिरफतार किये गये। इसके बाद समय करीब 05.00 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह से आरोपीगण द्वारा 5000/-रूपये रिश्वत राशी मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी सेनडिस्क मेमोरी कार्ड डालकर श्री रवि कुमार कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप बाक्स से दो खाली पेनड्राईव 32 जीबी निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। दोनों पेन ड्राईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान होना पाया गया। पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजबीर सिंह कानि0 से निकलवायी जाकर हैष वैल्यू का प्रिंट लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1, C-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन डाईव मार्क C-2, को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात दोनो सें स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह की निशान देही में घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्षा मौका एंव हालात मौका जरिये फर्द तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी के कार्य से सम्बन्धित उसके पिता श्री कुलवन्त सिंह के नाम कृषि कनेक्सन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति जरिये फर्द जब्त की गई। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर ACB ALW kk ¼5½ लिखा हुआ था को गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही श्री लल्लूराम कानि0 487 से तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट

करवाया गया। इसके बाद समय करीब 09.30 एएम पर परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह उम्र 34 साल जाति सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील नौगावा जिला अलवर को बाद ट्रेप कार्यवाही अपने निवास स्थान के लिए रवाना कर समय करीब 10.00 एएम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशी, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन व एक प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर से राजकीय अस्पताल रामगढ में आरोपीगण का मेडिकल करवाकर एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना होकर समय करीब 10.30 एएम पर मय हमराहीयान व गिरफतार शुदा आरोपीगण के एसीबी कार्यालय अलवर पर पहुंचा। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शिशीयॅ०ा व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 5000/-रूपये को श्री सतीश कुमार, हैड कानि. के सुपुर्द किया गया जो आईन्दा कार्यालय एसीबी भिवाडी पहुंचकर जमा मालखाना करवाया जावेगा।अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी दिनेश कुमार पुत्र श्री कालीचरण उम्र 31 साल जाति खाती निवासी ग्राम जहानपुर तहसील व पुलिस थाना गोविदंगढ जिला अलवर हाल लाईनमैन द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल मुबारिकपुर कैम्प रामगढ जिला अलवर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये आरोपी श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन व श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री हकमिन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह उम्र 34 साल जाति सिख निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील नौगावा जिला अलवर से उसके पिताजी श्री कुलंवत सिंह के नाम श्री फेज विधुत कृषि कनेक्सन की इन्डेन कटवाकर ट्रान्सफार्मर दिलवाने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2025 को रिश्वत राशी हेतु परिवादी को अपने साथी श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन को बताने के लिए कहकर परिवादी को उससे मिलने के लिए कहना तथा श्री विरेन्द्र सिंह लाईनमैन द्वारा आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन के कहने पर परिवादी से 6,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग करने पर परिवादी श्री हकमिन्द्र द्वारा आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन के पास आकर कम करवाने के लिए कहने पर आरोपी द्वारा हजार-पांच सौ रूपये कम दे देने के लिए कहना तथा परिवादी द्वारा 5,000 रूपये के लिए कहने पर सहमत होना एंव आरोपीगण की मांग के अनुषरण में आज दिनांक 17.11.2025 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशी लेन देन के समय आरोपी श्री दिनेश कुमार लाईनमैन-द्वितीय द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी 5,000 रूपये मांग कर अपने पास खडे आरोपी श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाना तथा श्री राजकुमार प्राईवेट व्यक्ति द्वारा ट्रेप टीम को देखकर परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशी 5,000 रूपये को अपने पास खडी गाडी नम्बर आरजे 14ईए 9401 टाटा लिफ्टर में फैकना तथा उक्त रिश्वत राशी गाडी की पीछे की बाडी की दाहिनी साईड से बरामद होना तीनो आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।(परमेश्वर लाल)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भिवाडी............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कालीचरण उम्र 31 साल जाति खाती निवासी ग्राम जहानपुर तहसील व पुलिस थाना गोविदंगढ जिला अलवर हाल लाईनमैन द्वितीय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल मुबारिकपुर कैम्प रामगढ जिला अलवर 2- श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम महरमपुर पोस्ट रायसीस तहसील नदवई जिला भरतपुर हाल लाईनमैन कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जेवीवीएनएल मुबारिकपुर कैम्प रामगढ जिला अलवर एवं 3- श्री राजकुमार पुत्र श्री साईदास उम्र 66 साल जाति पंजाबी निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर प्राईवेट व्यक्ति हाल लेबर का कार्य कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 367 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1732-35 दिनांक 19.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाडी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMJI LAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1[illegible]1/2025 1[illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				
2	Male	08/03/1990				
3	Male	1959				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)